



बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना (पूर्णतः राज्य योजना)

- ▶ दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे परिवार जिन्होंने इंदिरा आवास निर्माण के लिए प्राप्त सहायता राशि से मकान का निर्माण लिटल स्तर तक ही करा पाये तथा छत का निर्माण कार्य नहीं करा पाने के कारण उनका घर अधूरा रह गया है उनके आवास की समस्या के समाधान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है।
- ▶ इस योजना में 30,000 रुपये दो किस्तों में सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- ▶ प्रथम किस्त में 20,000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है।
- ▶ प्रथम किस्त की सहायता राशि से छत निर्माण पूर्ण करने पर द्वितीय किस्त के रूप में 10,000 रुपये उपलब्ध करायी जायेगी।
- ▶ वित्तीय वर्ष 2014-15 में 83,333 परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 250.00 करोड़ रुपये जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं और चालू वित्तीय वर्ष में भी सम्प्रति 134.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
- ▶ जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल गया है वे अपना छत निर्माण कराकर दूसरे किस्त के लिए अपना आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करावें।
- ▶ ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जो योजना के लाभ पाने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें लाभ पाने के लिए चयन नहीं किया गया है वे अपना नाम जोड़ने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना (पूर्णतः राज्य योजना)

- ▶ इंदिरा आवास योजना के महादलित वर्ग के लाभुक द्वारा इंदिरा आवास निर्माण के लिए दूसरे किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अन्दर मकान निर्माण पूर्ण कर आवासित होने पर
- ▶ प्रोत्साहन स्वरूप रु. 2000 (दो हजार रुपये) की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
- ▶ वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिलों को रु. 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) उपलब्ध कराये गये थे।
- ▶ वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनः 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) इस योजना के लिए स्वीकृत किये गये हैं।
- ▶ महादलित वर्ग के लाभुक अपने इंदिरा आवास का निर्माण दो माह में पूर्ण कर इस योजना का लाभ उठावें।

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना